UPBN010005392026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0– 1, बदायूँ

उपस्थितः– कु0 रिंकू (एच0 जे0 एस0)

फौजदारी अपील सं0 04/2026

श्रीमती सुशीला पत्नी मोहित पुत्री खेमकरन शर्मा निवासी ग्राम मन्नू नगर थाना फैजगंजबेहटा, जिला बदायूँ

---- अपीलार्थी/वादिनी

बनाम

1– मोहित कुमार पुत्र लीलाधर शर्मा
2– लीलाधर शर्मा **(मृतक)** पुत्र मुंशीलाल
3– सुशीला पत्नी लीलाधर शर्मा
4– डब्लू उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र लीलाधर शर्मा
5– क्रांति पुत्र लीलाधर शर्मा
निवासीगण ग्राम बालपुर थाना इस्लामनगर, जिला बदायूँ
6– उत्तर प्रदेश सरकार

----- विपक्षीगण/अभियुक्तगण

निर्णय

01– प्रस्तुत फौजदारी अपील, अपीलार्थी/वादिनी की ओर से अवर न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, बिसौली, जनपद बदायूँ द्वारा वारंट केस नं0 1146/2013, मु0अ0सं0 545/2012, सरकार बनाम मोहित आदि धारा 498ए,323,506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना फैजगंजबेहटा जिला बदायूँ में पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 12.12.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया है।

02– अपील में यह आधार लिये गये हैं कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2025 विधि विरुद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में सारवान अनियमितता से कार्य किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का भली–भाँति परिशीलन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो न्यायसंगत न होने के कारण आदेश दिनांक 12.12.2025 निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2025 पारित करते समय विधि द्वारा पारित सिद्धान्तों को दृष्टिगत् नहीं रखा गया है। उक्त मामले में आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2025 पारित करते समय आरोप पत्र में वर्णित महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन अंकित नहीं किये गये हैं। उक्त मामले में विवेचक महोदय व चिकित्सा अधिकारी का साक्ष्य अंकित किये बिना ही आलोच्य

आदेश दिनांक 12.12.2025 पारित किया गया है। अपीलार्थी व साक्षी रामप्रकाश ने अपने कथनों में घटना का पूर्ण समर्थन किया है। अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 12.12.2025, वर्तमान में प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं की अनदेखी कर पारित किया गया है, जो हरसूरत निरस्त होने योग्य है। उक्त आधारों पर प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

03– अपीलार्थी की ओर से अपील के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रश्नगत निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।

04– प्रस्तुत मामले के कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी श्रीमती सुशीला ने थाना हाजा पर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी का विवाह दिनांक 22.06.2010 दिन मंगलवार को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार मोहित बाबू पुत्र श्री लीलाधर निवासी बालपुर थाना इस्लामनगर जिला बदायूँ के साथ स्व 0 पिता खेमकरन के आवास ग्राम मन्नूनगर थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूँ पर भाई रामप्रकाश के व्यवस्थापन से सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिनी विवाह सम्पन्न होकर विदाई के दिन पिता के घर से बतौर पत्नी मोहित बाबू के साथ ग्राम बालपुर गयी थी। भाई रामप्रकाश ने अपनी हैसियत के अनुसार विवाह में नकदी जेबरात, सामान व अन्य खर्चे सहित लगभग 7 लाख रूपये खर्च किये थे, विवाह के कुछ समय तक ठीक ठाक रखा और करीब 6 माह बाद अतिरिज दहेज मे चार पहियां की मारूति कार की मांग करने लगा और उक्त मांग पति मोहित के साथ ससुर लीलाधर, सास सुशीला देवी, जेठ डब्लू, जेठ क्रान्ति व जिठानी आशा पत्नी डब्लू, ननद रचना, पत्नी अजय नि0 बसंत नगर थाना बिल्सी, ननद सुमन पत्नी कुलदीप निवासी ढाणौल थाना बहजोई जिला भीमनगर, जिठौत प्रशांति व कुमारी ज्योति आयु 19 वर्ष पुत्रगण डब्लू प्रार्थिनी को भाई के घर से मारूति कार न लाने पर मारपीट करने लगे। प्रार्थिनी ने दहेज में गाड़ी की मांग की बात अपने भाई को बतायी तो भाई ने रिश्तेदार और भले लोगों को लेकर पंचायत जोड़ी कि मेरी आर्थिक स्थिति मोटर साइकिल देने लायक थी, वह मैंने आपको दी। अब मेरी स्थति कार देने लायक नहीं है। आप जमींदार आदमी हैं। आप कार अपने घर से ले लो। मैं बीस हजार रूपये दे सकता हूँ। उक्त पंचायत के सामने मोहित के पिता ने कहा कि कार हम अपने लड़के को घर से ले लेंगे, लेकिन महीने दो महीने बाद कार की मांग फिर से शुरू हुई और प्रार्थिनी के साथ मारपीट करते रहे। दिनांक 30.07.2012 की रात लगभग 12 बजे प्रार्थिनी के पति, सास-ससुर व दोनों जेठ आदि ने प्रार्थिनी को फांसी लगाने की कोशिश की, परन्तु मोहल्ले में आहट की वजह से फांसी नहीं लगा सकें। दिनांक 01.08.2012 की रात समय दो बजे प्रार्थिनी के पति, सास, ससुर व दोनों जेठों व जिठानी आशा ने प्रार्थिनी के ऊपर जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की, शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने बचाया। दिनांक 02.08.2012 को रक्षा बंधन के दिन प्रार्थिनी को राखी बांधवाने नहीं लाये तो भाई रामप्रकाश राखी बंधवाने प्रार्थिनी के घर आये तो उक्त सभी ससुरालीजनों ने मिलकर प्रार्थिनी को व प्रार्थिनी के भाई को मारापीटा जिससे प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के भाई के काफी चोटें आयीं।

प्रार्थिनी को केवल पहने हुये कपड़ों में घर से निकाल दिया। प्रार्थिनी का जेवर व कपड़ा व नकद 5 हजार रूपया छीनकर पहने हुये कपड़ों में मारपीट कर घर से निकाल दिया। वापस ससुराल आने पर सभी ने जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिनी अपने भाई के साथ इस्लामनगर गयी, लेकिन थाने वालों ने घर परिवार की बात बताकर फैसला करने की बात कहकर टाल मटोल करते रहे। प्रार्थिनी आज तक थाने के चक्कर लगाती रही। अतः घटना के मुताबिक एफ 0 आई 0 आर 0 दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

05- उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क -1 के आधार पर थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूँ में अभियुक्तगण मोहित कुमार पुत्र श्री लीलाधर शर्मा, लीलाधर शर्मा पुत्र मुंशीलाल, सुशीला पत्नी लीलाधर शर्मा, डब्लू उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र लीलाधर, क्रांति पुत्र लीलाधर शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0 सं0 545/2012 अंतर्गत धारा-498A, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना करते हुए विवेचक द्वारा अभियोजन दस्तावेजो की नकलें प्राप्त की, साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा-161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण मोहित कुमार पुत्र श्री लीलाधर शर्मा, लीलाधर शर्मा पुत्र मुंशीलाल, सुशीला पत्नी लीलाधर शर्मा, डब्लू उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र लीलाधर, क्रांति पुत्र लीलाधर शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा-498A, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

06- अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मोहित कुमार पुत्र श्री लीलाधर शर्मा, लीलाधर शर्मा पुत्र मुंशीलाल, सुशीला पत्नी लीलाधर शर्मा, डब्लू उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र लीलाधर, क्रांति पुत्र लीलाधर शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 25.02.2016 को आरोप अंतर्गत धारा-498A, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। "दौरान विचारण अभियुक्त लीलाधर शर्मा पुत्र मुंशीलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है।

07– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः-

(i) अभियोजन साक्षी संख्या-1 सुशीला पत्नी श्री मोहित बाबू,
(ii) अभियोजन साक्षी संख्या-2 रामप्रकाश पुत्र खेमकरन,
(iii) अभियोजन साक्षी संख्या-3 जगतपाल सिंह पैरोकार,

08– अभियोजन की ओर से पी0 डब्ल्यू0-1 सुशीला पत्नी श्री मोहित बाबू को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मेरी शादी 22.06.2010 को मोहित के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। मेरी शादी बालपुर में हुई थी। ससुराल भी बालपुर में है। शादी के 6 माह तक को सब ठीक-ठाक था। उसके बाद इन्होंने मारूति कार की मांग शुरू कर दी। फिर मैंने मोहित के माता पिता से कहा कि मोहित

मुझसे मारूति कार मांग रहे हैं। मोहित के माता पिता सुशीला व लीलाधर ने कहा कि मोहित ने ठीक कहा है। हमें मारूति कार चाहिए। मैंने अपने सास-ससुर से कहा कि मेरे भाई ने अभी जमीन बेचकर मेरी शादी की है। अभी नहीं दे सकते। बाद में जब हो जायेंगे तब दे देंगे। फिर भी ये लोग नहीं माने और मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया। मुझे मोहित, मेरे सास-ससुर, मेरा जेठ क्रांति व डब्ल्यू भी मुझे मारते-पीटते थे। मुझे मेरे भाई आकर ससुराल से ले गए थे। मैंने अपने भाई को मेरी सारी बात बताई मेरे भाई ने इन बातों को लेकर गांव के लोगों व रिश्तेदारों की एक पंचायत जोड़ी। पंचायत में मेरे भाई ने कहा कि अब मैं गाड़ी नहीं दे सकता। रूपये बीस हजार दे सकता हूॅं। फिर मोहित के पिता ने कहा कि मैं मोहित को अपने घर से ही गाड़ी दे दूंगा। फिर मेरे ससुर लीलाधर बोले कि सुशीला को मेरे साथ ससुराल भेज दो। आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। फिर मैं अपने पति व ससुर के साथ अपने ससुराल चली गई। लेकिन ससुरालीजन नहीं माने और मेरे साथ मारपीट व तानाकशी शुरू कर दी। ताने में यही कहते थे कि या तो हमें गाड़ी लाकर दे या घर जा। ऐसे हम तुम्हें रखने वाले नहीं है। फिर इन्होंने घर में ही फांसी का फंदा डालकर मुझे मारने की योजना बनाई। इस योजना (प्लान) की भनक मुझे लग गई थी। फिर मैंने किवाड़ बद करके अपनी जान बचाई। मुल्जिमानों ने रात में मुझसे किवाड़ खुलवाने की कोशिश की। मोहित, लीलाधर जेठ डब्ल्यू, जेठानी आशा, जेठ क्रांति, सास सुशीला ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर अगली रात इन सब मुल्जिमानों ने मिट्टी का तेल डालकर जलाकर मारने की कोशिश की। घर पर मोहित के बहनोई अजय व उसकी पत्नी रचना, कुलदीप व उसकी पत्नी सुमन आए हुए थे। अजय व कुलदीप ने कहा कि आज हम तुम्हारे घर आए हुए है। आज तो इसे मत मारों, नहीं तो हम भी फंस जायेंगे। मिट्टी का तेल अजय व कुलदीप ने ही लाकर दिया। उसके अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। मेरा भाई घर (ससुराल) आया तथा बोला कि मेरी बहन को जानवरों की तरह क्यों बंद कर रखा है। मेरे भाई के साथ मेरा बहनोई प्रमोद भी आया हुआ था, तो इन्होंने मेरे भाई व बहनोई के साथ मारपीट की। भाई के सीने पर तमंचा भी रखा था। तमंचा डब्ल्यू ने रखा था। डब्ल्यू बोला कि साले तुझे जान से मार देंगे और तेरी बहन को किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखेंगे। फिर मेरा भाई मुझे लेकर अपने घर चला गया। उसके बाद हम थाने गए। थानेदार ने कहा कि तुम जाओ मुकदमा तो जो जाएगा। थाने में काफी दिन बाद मेरा मुकदमा कायम हुआ। पत्रावली में संलग्न जो टाइपशुदा तहरीर है, वहीं मैंने थाने पर दी थी। मेरा मेडीकल व एक्स-रे जिला अस्तपाल बदायूँ में हुआ था। मेरा मेडीकल पुलिस ने नहीं कराया था। मेरे प्रार्थना पत्र पर ही जिला अस्पताल बदायूँ में हुआ था। पत्रावली पर संलग्न मेडीकल हेतु मेरे प्रार्थना पत्र की छायाप्रति मेरा ही निशानी अंगूठा बना हुआ है। जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।''

09- अभियोजन की ओर से पी0 डब्ल्यू0-2 रामप्रकाश पुत्र खेमकरन को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''लगभग 14 वर्ष पहले मेरी बहन सुशीला की शादी मोहित निवासी बालपुर के साथ हुईथी। शादी में लगभग हमने 10-12 लाख रूपये खर्च किया था। शादी के लगभग चार महीने बाद मेरी बहन के ससुराल वालों

लीलाधर (ससुर), सास सुशीला, पति मोहित, जेठ डब्ल्यू उर्फ कृष्ण कुमार व जेठ क्रांति ने मेरी बहन सुशीला से चार पहिया वाहन की मांग दहेज में की थी। मेरी बहन सुशीला ने चार पहिया वाहन देने से मना कर दिया तो मेरी बहन सुशीला के साथ मुल्जिमान उपरोक्त ने मारपीट की और दहेज न लाने के कारण मेरी बहन सुशीला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। शादी मे हम लोगों ने मोहित व इसके घर वालों को 5 लाख रूपये नकद दिये थे। मेरी बहन सुशीला ने गाड़ी मांगने की बातें हम लोगों को बताई थी। हम लोगों ने मोहित व उसके घर वालों को बात की तो हमने उनसे कहा कि कार तुम लोग अपने घर से ले लेना हम 20 हजार रूपये दे सकते हैं। हम लोगों ने मोहित व उसके घर वालों को 90 हजार रूपये कीमत की एक भैंस दी थी। पंचायत में मोहित के पिता लीलाधर ने कहा कि कार हम अपने आप ले लेंगे, लेकिन दो महीने बाद ही ये लोग कार की मांग दोबारा करने लगे तथा मेरी बहन सुशीला के साथ पुनः मारपीट करने लगे। राखी वाले दिन मैं अपनी बहन सुशीला के घर गया तो मैंने उसके घरा पहुॅच कर अपनी बहन को आवाज दी तो मैंने देखा कि मेरी बहन को अंदर कमरे में बंद थी। मेरी आवाज पर मेरी बहन ने अंदर से किवाड़ खटखटाई तो मैंने उस बंद कमरे से बाहर निकाली। जब मेरी बहन बाहर निकली तो उसके कपड़े मिट्टी के तेल से भीगे हुए थें उसके कपड़ों से मिट्टी के तेल की महक आ रही थी। मेरी बहन के ससुराल वाले मेरी बहन सुशीला को कई दिनों से जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बहन के ऊपर मुल्जिमान उपरोक्त ने रात में जान से मारने की नियत से मिट्टी का तेल मेरी बहन के ऊपर डाला था। लेकिन आहट हो जाने की वजह से मुल्जिमान उपरोक्त मेरी बहन को जान से मार नहीं पाये। गेट खोलने के बाद जब मेरी बहन कमरे से बाहर आ गयी थी। मौके पर मोहित, लीलाधर, सुशीला(सास), डब्ल उर्फ कृष्ण कुमार व क्रांति मौजूद थे। इन लोगों ने मेरे व मेरी बहन के साथ मारपीट की तथा हम लोगों को जमीन पर गिराकर लाठी-डण्डों व लात-घूसों से मारपीट की। मारपीट से हम लोगों को चोट आई थी। शोर शराबे पर मुहल्ले के लोग आ गये थे। मुल्जिमान उपरोक्त ने मेरी बहन के कान पर भी चोट मारी थी। जिससे मेरी बहन को सुनाई आने में दिक्कत आने लगी थी। मेरी बहन ने अपना इलाज सरकारी अस्पताल बदायूँ में कराया था। घटना के बाद हम लोग फैजगंज बेहटा अपने घर आ गये थे। उसी दिन मेरी बहन थाने पर गयी थी। एस0ओ0 साहब ने मुकदमा न लिखकर कुछ दिन इंतजार करने को कह दिया था। घटना के अलगे महीने मेरी बहनर ने एक प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था जो पत्रावली पर मेरे सामने है। मैं भी अपनी बहन के साथ थाने पर गया था। प्रार्थना पत्र देने के काफी दिनों बाद मुकदमा लिखा गया था। मेरी बहन सुशीला को डब्लू, क्रांति, लीलाधर व सास सुशीला व मोहित ने जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि हमारे पास बहुत जमीन है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैंने और मेरी बहन सुशीला ने थाने में कई चक्कर लगाये थे, लेकिन पुलिस वाले फैसला करने को लेकर हम लोगों को टालते रहे। लगभग दो-ढाई महीने बाद बार-बार हम लोगों के थाने जाने के बाद हमारा मुकदमा लिखाया गया था। मैंने यही सब बातें दरोगा जी को बताई थी। उस दिन मेरे भाई गेंदन लाल से भी पूंछताछ की थी। कुलदीप (सुशीला के ननदोई) ने कहा था कि मेरी बहन को मारपीट कर भगा दो। हम

लोग मोहित की दूसरी जगह शादी करा देगें। आशा व सुमन (दोनों) ननद कुलदीप के साथ मोहित की दूसरी शादी कराने को कह रही थी। मोहित बाद में गांव परोली से किसी लड़की को भगा कर ले गया था और वह उसी के साथ रह रहा है। इस समय भी वह परोली वाली लड़के के साथ रह रहा है।"

10- अभियोजन की ओर से पी0 डब्ल्यू0-3 एच 0 जी0-652 जगत पाल सिंह, पैरोकार थाना फैजगंज बेहटा जिला बदायूँ को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि"मैं दिनांक 03.05.2025 से थाना फैजगंज बेहटा में तैनात हूँ। पत्रावली पर संलग्न एफ 0 आई 0 आर 0, जी0 डी0 कायमी कां0 गोरव कुमार के हस्तलेख में है। जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। मैंने गौरव कुमार के हस्तलेख व हस्ताक्षर विभागीय कार्यवाही के दौरान पत्रावलियों में देखे हैं, जिन्हें मैं पहचानता हूँ। एफ 0 आई 0 आर 0 पर प्रदर्श क-3 व जी0 डी0 कायमी पर प्रदर्श क-4 डाला गया। पत्रावली पर संलग्न आरोप पत्र व नक्शा नजरी 59 वी0 एस 0 पोनिया के हस्ताक्षर में है। जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। मैंने 59 वी0 एस 0 पोनिया के हस्तलेख व हस्ताक्षर विभागीय कार्यवाहियों के दौरान पत्रावली पर देखे हैं। जिन्हें मैं पहचानता हूँ। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-5 व प्रदर्श क-6 डाला गया।

11– अवर न्यायालय में अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।

12- उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2025 को निर्णय पारित करते हुये अभियुक्तगण/विपक्षीगण मोहित कुमार, सुशीला, डब्लू उर्फ कृष्ण कुमार एवं क्रांति के विरूद्ध किसी अपराध का न होना पाते हुये दोषमुक्त कर दिया गया, इसी निर्णय से क्षुब्ध होकर वादिनी की ओर से प्रस्तुत अपील प्रस्तुत की गयी है।

13– प्रस्तुत अपील पर अपीलार्थी एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपील की पत्रावली तथा अवर न्यायालय की तलबीदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

14– अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.25 को अभियेाजन को साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर दिया गया और उसके पश्चात दिनांक 16.09.25 नियत की गयी। दिनांक 16.09.25 को पी0 डब्ल्यू0– 3 का बयान अंकित करते हुये पत्रावली अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 हेतु नियत कर दी गयी, जबकि अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त नहीं किया गया और न ही न्यायालय द्वारा ही अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। बिना साक्ष्य समाप्त किये अगली नियत दिनांक 19.09.25 को अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित कर दिये गये। पत्रावली पर न तो विवेचक का बयान अंकित कराया गया और न ही परिवादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि उसकी मेडिकल आख्या पत्रावली पर है, उसका इलाज करने वाले डाक्टरों को परीक्षित कराया जाये, का निस्तारण किया गया। अवर

न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में वाद का निस्तारण कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में पत्रावली में पारित आलोच्य निर्णय अपास्त होकर अभियोजन को साक्ष्य का अवसर देकर पुनः साक्ष्य समाप्त करने के पश्चात, अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित करके पत्रावली का निस्तारण करना चाहिए था। अतः अवर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अवर न्यायालय का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है बल्कि अपास्त होने योग्य है तथा फौजदारी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी अपील सं0– 04/2026, सुशीला बनाम मोहित आदि स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, बिसौली, जनपद बदायूँ द्वारा वारंट केस नं0 1146/2013, मु0 अ0 सं0 545/2012, सरकार बनाम मोहित आदि धारा 498 ए, 323, 506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना फैजगंजबेहटा जिला बदायूँ में पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 12.12.2025 अपास्त किया जाता है।

अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करे।

उभयपक्ष अवर न्यायालय में दिनांक 07.07.2026 को उपस्थित हों।

इस निर्णय की एक प्रति अवर न्यायालय को अनुपालन हेतु प्रेषित हो।

दिनांक–19.06.2026

(कु0 रिंकू)
J.O. Code-UP 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–1, बदायूँ

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

दिनांक–19.06.2026

(कु0 रिंकू)
J.O. Code-UP 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–1, बदायूँ

Digitally signed by Rinku Jindal
Date: 2026.06.19 15:55:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court